पत्र संख्या : 7 वि॰शा॰/मु॰ल॰सिं॰राँची–07–03/2021 ज॰स॰– 94

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांकः 27/08/21

विषय :– वित्तीय वर्ष 2021–22 में जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) अन्तर्गत नई लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण हेतु रूपये 47.160 लाख (रूपये सैंतालीस लाख सोलह हजार मात्र) राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :– प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या– 63/12.02.2019; (Online A.A.-2097/12.02.2019)

वित्तीय वर्ष **2021–22** में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष **4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय** के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष /उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्र॰	माँग संख्या/मुख्य शीर्ष /उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष /उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष /विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रू॰)
1	2	3	4	5
1.	50–जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	101–सतही जल/ 19– नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण	05–निर्माण/ 45– निर्माण कार्य विपत्र कोड– 50**S**47020010119000545	**47.160**
आवंटित राशि – रूपये सैंतालीस लाख सोलह हजार मात्र।				

2. उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय परिशिष्ट–1 में अंकित कार्य प्रमंडलों के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।

3. आवंटित राशि वर्ष **2021–22** के बजट उपबंध राशि **रू॰ 3000.00 लाख (तीस करोड़)** मात्र के अंतर्गत है।

4. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि॰ (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि॰) दि॰ 15.07.2003, 1363 दि॰ 09.05.2016 एवं 2747/वि॰, दिनांक–19.09.2016 के आलोक में होगा।

5. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्त्तों का अक्षरशः पालन करते हुए किया जायेगा।

6. संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।

7. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

8. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

9. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।

10. आवंटित राशि से अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।

11. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।

13. AIBP योजनाओं के लिए MOU में भारत सरकार द्वारा अंकित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।

14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉंची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

15. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2022 के पूर्व तक** निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी ईकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। **राशि का प्रत्यर्पण, Online** उप शीर्षवार किया जाय एवं **पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।**

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no. परिशिष्ट–1 के स्तंभ–15 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

27/08/21
(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 94   रॉंची, दिनांक :– 27/08/21

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक॰) झारखण्ड पो॰ – हिनू, रॉंची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/रॉंची/बोकारो/देवघर सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक–यथोक्त्।

27/08/21
(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 94   रॉंची, दिनांक :– 27/08/21

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰) रॉंची/अभियंता प्रमुख–**I** एवं **II** जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉंची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक–यथोक्त्।

(राजेन्द्र प्रसाद) उप सचिव (अभि॰)	(श्याम किशोर प्रसाद सिंह) संयुक्त सचिव (अभि॰)	27/08/21 (प्रशांत कुमार) सचिव

विभागीय पत्रांक 94 दिनांक 27/08/21 का अनुलग्नक

परिशिष्ट –1

मुख्य शीर्ष–4702– लघु सिंचाई पर पूँजीगत व्यय
लघु शीर्ष–101–सतही जल,
उप शीर्ष–19–नई लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण,
विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण
बजट उपबंध (2021–22) – रूपये 3000.00 लाख (रूपये तीस करोड़) मात्र
विपत्र कोड– **50S47020010119000545**

(राशि लाख रूपये में)

क्र॰		कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति प्रसंग	प्रशासनिक स्वीकृति राशि	प्रशासनिक स्वीकृति Online प्रसंग	एकरारित राशि	मार्च 2021 तक व्यय	वर्ष 2021–22 में पूर्व का आवंटन	वर्ष 2021–22 में वर्तमान आवंटन	वर्ष 2021–22 में कुल आवंटन	योजना पर कुल अद्यतन आवंटन (10+13)	Online Allotment Access No.	अभ्युक्ति
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	लघु सिंचाई प्रमंडल, बोकारो (BKRMIR001)	बोकारो	गोमिया	नगुलवा जोरिया नुनमरिया में चेकडैम निर्माण	63/2018-19 dt. 12.02.2019	75.890	2097 dt. 12.02.2019	65.965	57.029	0.000	8.792	8.792	65.821	**42536**	
2	2			कसमार	गोवई जोरिया (पाडी) में चेकडैम निर्माण		54.372		48.510	34.915	0.000	14.012	14.012	48.927		
					योग :–		**130.262**		**114.475**	**91.944**	**0.000**	**22.804**	**22.804**	**114.748**		
3	1	लघु सिंचाई रूपांकण प्रमंडल, दुमका शिविर, देवघर (DGRMIR001)	देवघर	मार्गोमुण्डा	फागो जोरिया में श्रृं0 चेकडैम निर्माण	63/2018-19 dt. 12.02.2019	169.204	2097 dt. 12.02.2019	144.302	120.000	0.000	24.356	24.356	144.356	**42537**	
					योग :–		**169.204**		**144.302**	**120.000**	**0.000**	**24.356**	**24.356**	**144.356**		
					सकल योग :–		**299.466**		**258.777**	**211.944**	**0.000**	**47.160**	**47.160**	**259.104**		

आवंटित राशि – रूपये सैंतालीस लाख सोलह हजार मात्र।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

(प्रशांत कुमार)
सचिव